निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1939 (श0)

(सं0 पटना 608) पटना, शुक्रवार, 14 जुलाई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

1 जून 2017

सं0 22/नि0सि0(औ0)–17–08/2013–828—श्री हरिद्वार प्रसाद (आई0डी0–4568), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, जपला के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1440, दिनांक 03.12.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई :–

(1) कार्यपालक अभियन्ता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, जपला के रूप में कार्यरत रहने के दौरान वि0दू0 64.00 पर स्थित सी0आर0 गेट का उचित संचालन नहीं करने के कारण दिनांक 17.07.2013 को उत्तर कोयल दायाँ मुख्य नहर के वि0दू0 60.00 पर नहर का दायाँ बाँध एवं बायाँ बाँध क्रमशः लगभग 200फीट एवं 100फीट में आपकी लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त हो गया जिससे औरंगाबाद जिले के किसानों के समक्ष सिंचाई की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी।

(2) दिनांक 17.03.2013 को जबकि उत्तर कोयल मुख्य नहर से 1036 क्यूसेक जलस्त्राव प्रवाहित हो रहा था, आप बिना किसी सूचना एवं अनुमति के अनुपस्थित पाए गए।

(3) उक्त तिथि को उत्तर कोयल मुख्य नहर के क्षतिग्रस्त होने के उपरांत मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद द्वारा आपके मोबाइल पर कई बार सम्पर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु आपके द्वारा फोन नहीं उठाया गया। इस प्रकार आपके द्वारा विभागीय उच्चाधिकारी के निदेश की अवहेलना की गई।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन में आरोप सं०–1 एवं 2 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप सं०–3 को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत इससे सहमत होते हुए उक्त आंशिक एवं प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक–1781, दिनांक 22.08.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में मुख्य रूप में निम्न तथ्य दिया गया :–

(i) उनका मूल पदस्थापन उत्तर कोयल बराज प्रमण्डल, मोहम्मदगंज, पलामू के पद पर हुआ है। उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, जपला का अतिरिक्त प्रभार उनके जिम्मे 14.02.2012 से दिनांक 12.12.2013 तक रहा। इन दो वर्षो की अवधि में विभाग द्वारा उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, जपला के पद पर किसी कार्यपालक अभियन्ता का पदस्थापन नहीं किया गया।

(ii) बिहार सरकार एवं झारखंड सरकार के बीच हुए एम0ओ0यू0 के अनुसार मात्र उत्तर कोयल नदी पर पर झारखण्ड के मोहम्मदगंज में बने बराज से निकलने वाले नहर से झारखण्ड क्षेत्र में 0.00 आर0डी0 से 55.40 आर0डी0तक का क्षेत्र उत्तर कोयल बराज प्रमण्डल, मोहम्मदगंज एवं 55.40 आर0डी0 से 130.00 आर0डी0 तक उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, जपला के क्षेत्राधिकार में पड़ता है तथा शेष भाग बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिला में पड़ता है। अतः झारखण्ड राज्य में पड़ने वाले उक्त कोयल नहर का 0.00 आर0डी0 से 103.00 तक वार्षिक मरम्मति एवं संपोषण झारखण्ड सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाना है किन्तु निर्माण के बाद से आज तक जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा नहरों की मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य नहीं कराया गया। कार्य संचालन की सुगमता की दृष्टि से बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के नियंत्राधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद के अधीन रखा गया है तथा झारखण्ड राज्य में मोहम्मदगंज से लेकर जपला तक अवस्थित प्रमंडल/अंचल में बिहार सरकार के सरकारी सेवक पदस्थापित रहते हैं। झारखण्ड सरकार द्वारा 0.00 आर0डी0 से 103.00 तक नहर की मरम्मति नहीं कराए जाने के कारण ही 60.00 आर0डी0 पर नहर क्षतिग्रस्त हुई जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है।

(iii) उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, जपला के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले नहर (55.40 आर0डी0 से 103.00 आर0डी0 तक) में क्रमशः 64.40 आर0डी0 तथा 95.30 आर0डी0 पर क्रमशः इस्केप रेगुलेटर तथा क्रॉस रेगुलेटर है। इसकी वार्षिक मरम्मति एवं संपोषण का कार्य कार्यपालक अभियंता (याँ0) सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद द्वारा किया जाता है। उनके पत्रांक 162, दिनांक 03.07.2013 एवं पत्रांक 170, दिनांक 11.07.2013 द्वारा लिखित सूचना देने के बाद भी गेटों की मरम्मति एवं रख–रखाव समय पर नहीं हो सका जो नहर के क्षतिग्रस्त होने का दूसरा बड़ा कारण है।

(iv) आरोप सं0–2 एवं 3 के संदर्भ में श्री प्रसाद द्वारा कहा गया कि वे अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित थे तथा उनकी तथा उनकी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं दिया गया है। यदि उन्हें मोबाइल पर मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद का कोई निदेश प्राप्त होता तो निश्चित रूप से उसका अनुपालन किया जाता।

श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में दिए गए तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि श्री प्रसाद के विरूद्ध मुख्य आरोप यह है कि वि0दू0 64.00 पर स्थित सी0आर0 गेट का उचित संचालन नहीं होने के कारण ही दिनांक 17.07.2013 को उत्तर कोयल दायाँ मुख्य नहर के वि0दू0 60.00 पर नहर क्षतिग्रस्त हुई। श्री प्रसाद द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में अंकित किया गया है कि उनके द्वारा इस्केप रेगुलेटर एवं क्रॉस रेगुलेटर की मरम्मति के संदर्भ में कार्यपालक अभियन्ता (याँ) सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद के पत्रांक–162, दिनांक 03.07.2013 एवं पत्रांक 170, दिनांक 11.07.2013 द्वारा लिखित रूप से अनुरोध किया गया था किन्तु इस आशय का किसी प्रकार का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी अपनी समीक्षा में यह अंकित किया गया है कि श्री प्रसाद द्वारा जो बचाव बयान समर्पित किया गया है उसके समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

अतएव सम्यक समीक्षोपरांत श्री प्रसाद का द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री हरिद्वारा प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, जपला के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है :–

"एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"

उक्त निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–112, दिनांक 21.04.2017 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

अतः श्री हरिद्वार प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, जपला के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता है :–

"एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राकेश मोहन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 608–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in